

## कार्याल्य-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।



E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 2490

/ FP/UK/ROAD/12982/2015ः देहरादूनः

दिनांकः ०३ मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,

भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),

25 सुभाश रोड़, देहराद्न।

विशय—जनपद पिथौरागढ़ में मा0 मु0 घो0 संख्या—584/2012 के अंतर्गत जनपद पिथौरागढत्र के विधानसभा क्षेत्र घारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के निराकरण के संबंध में।

सन्दर्भः—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र रां० 8बी/यू०सी०पी०/06/205/2019/एफ.सी./2279, दिनांक 14.01.2020।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या—2869/12—1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा सूचना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई। भारत सरकार द्वारा चाही गई सचना की बिन्दवार आख्या निम्न प्रकार है —

गई।	गई। भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है –		
Φ0	आपत्ति	आख्या	
सं0		1 m 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m	
1	User Agency may submit the reason for delay	उक्त आपत्ति के कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक	
=	of four year to submit the hard copy of the	विभाग से हार्ड प्रतियां प्राप्त नहीं होने के कारण हार्ड प्रति	
	proposal	भेजने में विलम्ब हुआ। प्रस्ताव के हार्ड प्रति सम्बन्धित	
		प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक 1416/13सी0 दिनांक	
		20.08.2019 इस कार्यालय को प्रेषित किये गये थे जिसके	
		अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 1445 दिनांक 11.12.	
		2019 के द्वारा प्रस्ताव की हार्ड प्रतियां भारत सरकार को पूर्व	
		में प्रेषित की जा चुकी हैं।	
2	User Agency may mention the details of road	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के	
	and muck disposal separately at para-B(2.4)	पत्र संख्या—2869 / 12—1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत	
	part-1	कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा para-B(2.4) part-	
8.4		1 अलग से मोटर मार्ग एवं muck disposal अलग अलग	
7		कर अपलोड कर दिया गया है।	
- T	On perusal of the KML file, alignment of the	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के	
3	proposed road is going beyond beneficiary	पत्र संख्या—2869 / 12—1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत	
	village. State govt. may also locate the	कराया गया है कि लाभान्वित ग्राम सभा सोंसा तोक नयंन	
	beneficiary village in KML File	जयकोट तोक पस्ती को के०एम०एल० फाइल में अपडेट कर	
		अपलोड कर दी गयी है।	
1	In justification of the proposal it has been	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के	
4	mentioned that 1020 population of village	पान संख्या २०६० (४१) ४ नियंक ४०० (४०)	
1 21	saunsa and jaikot are not connected from any	पत्र संख्या–2869/12–1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत	
/V 5-94	saurisa and jarkot are not connected from any	कराया गया है कि ग्राम सभा सोंसा का एरिया लगभग 10	

		V
-		
and the same of th	motor road and villages have to travel 10 to 12	ि किमीव का है दिया है अपनी नामा
	km, However, it is seen that village is already	जाता है
	connected and other is very near to the existing	जार अवकाट परता मा बड़ा ग्राम समा है। जयकोट परती
	road. State Govt may clarify and cubmic	नाण्याण्याण्याण्याद्व द्वारा वष 2017—2018 में गरक नामन
	revised justification duly C/S by DFO is	ा स्थान से मोटर मार्ग की निर्माण किया गया है। जो कि कर
	required.	िमा जयकाट परती ग्राम सभा जंड नहीं पाया है। जिय करण
		माटर मार्ग का निर्माण कराना आवश्यक है। लाभारित
State of Sta		परिवार एवं जनसंख्या कमशः 216, 1020 ही है। औचित
5	Altamata ali	TITITITY TYPE
	Alternate alignment seems sketchy.State Govt	
	may explore possibilities to connect the village	3 100 200, 0001161 4
	the non-torest land as len of NFL seems	कराया गया है कि वैकल्पिक संरेखण में अत्यधिक नाप भूमि
and the state of t	available.	न र र र र र र र र र र र र र र र र र र र
		एवं अत्यधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जिससे ग्रामवासी भ
		इस सड़क संरेखन से सन्तुष्ट नहीं है। अतः प्रस्तावित
6	User Agency may fill the employment details	संरेखण ही उपयुक्त है।
4	at para -E seems available.	
	The state of the s	पत्र संख्या—2869 / 12—1, दिनाक 19 04 2023 टारा अत्यात
		कराया गया है कि यह मोटर मार्ग बनने के पश्चात् ग्राम
		सीसा जयकोट एवं (तोक नयन, पस्ती) के 1020 ग्रामीणों
7	User Apanov manual 1.1	को अस्थाई रोजगार प्राप्त होगा।
	User Agency may upload the related document	L(IV)(G) and (h) में सम्बन्धित document अपडेट कर
8	at para –L(iv)(G)and (h)in part-1	अपलोड करा दिया गया है।
	CA scheme is not c/s by DFO Name of the CA	पुनः CA scheme नई दर पर प्रभागीय वनाधिकारी, वन
	area is also not mentioned. Area mentioned	प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षर करा कर अपलोड करा दिया
	found same instead of double state Govt. may	गया है।
	uploaded and submit and uploaded revised CAscheme.	
9	IT has been mostlered in the set I'm	
	plan that 44462 aum debrie will be used as 6	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के
	plan diat 44402 culli debris will be used but bi	पत्र संख्या—2869 / 12—1, दिनाक 19.04.2023 द्वारा अवगत
	84000 cum debris. However, muck disposal	कराया गया है कि muck disposal plan की आपत्तियों का
	plan of only 25000 cum debris submitted	निराकारण कर पुनः muck disposal plan बनाकर अपलोड
	instead of 39538 cum debris state Govt. may	करा दिया गया है।
	submit and uploaded revised muck disposal plan	
10		and diagram and and a
	The forest land required for muck Muck	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के
	dumping is mention 0.4907 h (5 number of site	पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत
	) in the land scheduled but it is seen from a	कराया ग्या है कि मलवा निस्तारण में ली गयी सिविल भूमि
The same of the sa	document submitted with the hard copy that the	प्रस्ताव में 0.4907 हैं0 (5) नग लेण्ड शडयल के अनुसार
	area of muck disposal sites in civil land coms	सहा आकृत है। त्रुटिवश हाड़े कापी में 0.4590 हे0 हो गया।
	0.4592 ha. Only. State Govt. may submit the	था। जिसे सही कर अपलोड कर दिया है। लैण्ड शैड्यूल
	clarification in this regard and submit the	संलग्न है।
11	In the land cohe halo it is a section of that 0.855	THE SHIPS AT IMPROVED THE STATE OF THE STATE
Luna II	In the land schedule it is mentioned that 0.855	उक्त आपत्ति का प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निराकरण
	may confirm if it may confirm it it is may confirm it is	कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसे संलग्न कर
Sec.	may confirm if it not a forest land as per	अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
12	definition given by supreme court. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार Existing road	त्व गांग्यक चल्की कमाउँ तन उत्पासन कराने है
	KML file पर अकित करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के
	माट वर आकरा कर।	पत्र संख्या–2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत
		कराया गया है कि Existing road, KML file पर अंकित

-		कर अपलोड कर दी गयी है।
13	It has been mentioned in the muck disposal plane that 44462 cum debris will be used out of 84000 cum debris. However, muck disposal plan of only 25000 cum debris submitted instead of 39538 cum debris. State Govt. may submit and uploaded revised muck disposal.	Muck disposal plan पुनः गिठत कर ऑनलाईन अपलीड कर आपित का निराकरण कर दिया गया है।
14	Aerial distance is mentioned is 0.5 from national park/wildlife sanctuary. State Govt. may submit comments of Chief wildlife warden.	Aerial distance NOC मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक संख्या 1183/12–1 देहरादून दिनांक 14.10.2020 द्वारा प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
15	State Govt. may mention village wise breakup of forest land non-forest land separately at para B2.3, Part I online.	Village wise breakup at B-2.3 में Area की आपत्ति का निराकरण आनलाईन माध्यम से कर दिया गया है।
16	The number of tree is mentioned as 296 trees at para 4, Part II but the number of trees is mentioned as 226 trees, 296 trees and 316 trees in the documents submitted with the hard copy. State Govt. may removed this discrepancy and submit/upload correct details of trees.	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथोरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्ष 296 की सूचना ऑनलाईन यथास्थान संशोधन कर दिया गया है।
17	Although, the distance from projected area is mentioned as 0.5 Km but 'No" is mention is para 8 (iii) and 8 (iv) of Part II. State Govt. may submit clarification in this regard.	उक्त आपितत ऑनलाईन यथास्थान संशोधन कर दिया गया है।
18	In the district wise details in para 3 Part II, Nil is mentioned. State Govt. may fill the details in district profile at para 14, partII	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथोरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है उक्त आपत्ति ऑनलाईन यथास्थान संशोधन कर दिया गया है।
19	Eco-Class is mentioned as Eco-Class V in Para(i) of part II but keeping in view the species of flora, it is likely to be eco-class-VI. State Govt. may submitted the clarification and revised information of required.	उक्त आपित का संशोधित ऑनलाईन यथास्थान कर दिया गया है।
20	Two different NPV calculation sheets are provided with the hard copy. State Govt. may clarify as to which NPV calculation sheet is correct.	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है एन०पी०वी० आंकलन सूची वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित कर ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
21	The land has been calculated taking the RoW as 9.00m But tree counting is done in 7.00 m. In such ase the land should have been taken in 7.00m width only. State Govt. may submit the clarification in this regard.	मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि का आंकलन 9.00 मीटर चोड़ाई में किया गया है, पेड़ो की गिनती भी 9.00 मीटर चोड़ाई में की गयी है।
22	The forest land required for muck dumping is	Muck disposal plan में भूमि का प्रकार नाप त्रुटिवस गलत अंकित हो गया था, जिसे पुनः गठित कर ऑनलाईन अपलोड कर आपितत का निराकरण कर दिया गया है।

	clarification in this regard and submit the correct information.	
23	ha land falls in the Revenue Record. State Govt. may confirm if it is not a forest land as per definition given by Supreme Court.	
24	उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार Existing Road KML File पर अंकित करें।	KML फाईल में पुनः Existing Road को दर्शा कर ऑनलाईन अपलोड कर आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्गोड़ा के पत्र संख्या–2869/12–1, दिनांक 17. 03.2023 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोवित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

न्पदाय,

(एस०एस०रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,उत्तराखिण्ड, देहरादून।

संख्याः / FP/UK/ROAD/12982/2015 तद्दिनांकित। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. वन संस्थाक, उत्तरी कुगाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या—2869/12—1, दिनांक 17.03.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेपित।

2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

(एस०एस०रसाईली) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।